[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
[केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड]

अधिसूचना सं. 2/2019-एकीकृत कर

नई दिल्ली, तारीख 29 जनवरी, 2019

सा.का.नि............(अ).- केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 23 की उपधारा (2) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 7/2017-एकीकृत कर, तारीख 14 सितम्बर, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 1155(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के परंतुक के खंड (ख) में, “151” अंकों के स्थान पर, “5” अंक रखा जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2019 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी (भाग-II)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 07/2017-एकीकृत कर, तारीख 14 सितम्बर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. सं. 1155(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।